मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद कमांक 1

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के न्यायालयीन प्रकरण में डिक्री धन के भुगतान हेतु रूपये 40.02 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 40,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

अप्रेन्सिटस एक्ट 1973 एवं 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-4

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मानव संसाधन प्रकोष्ठ हेतु केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रूपये 38.15 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 38,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

राज्य शासन द्वारा कवर्धा जल प्रदाय योजना के आवर्धन एवं विस्तार हेतु अनुदान के रूप में रूपये 50.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है । योजना का वित्तीय पोषण 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण द्वारा किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

नगरीय जल प्रदाय योजनांतर्गत सोनाडीह से बलौदाबाजार के बीच क्षतिग्रस्त 2500 मीटर लम्बाई की ए.सी. पाईप पपिंगमेन का बदलीकरण हेतु अनुदान के रूप में रूपये 10.00 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया गया है । योजना 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत राशि से पूर्ण किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7

राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत तखतपुर जल प्रदाय योजना के लागत में वृद्धि के फलस्वरूप योजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान का निर्णय लिया गया है । अतिरिक्त राशि की व्यवस्था 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण से किया जाना है । इस वर्ष इस योजना पर अनुदान के रूप में रूपये 5.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

शिवनाथ नदी स्त्रोत से तिल्दा शहर में जल प्रदाय योजना के आवर्धन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस पर इस वर्ष अनुदान के रूप में रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । योजना 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत राशि से पूर्ण किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

शासकीय महाविद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु रूपये 3.18 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । महाविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. शासकीय पी.जी.छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,रायपुर
2. राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय,सिमगा
3. शासकीय महाविद्यालय, गरियाबन्द
4. शासकीय महाविद्यालय, पलारी
5. शासकीय पी.जी.डी.के.महाविद्यालय,बलौदाबाजार

6. शासकीय कन्या महाविद्यालय, बालौदाबाजार
7. शासकीय महाविद्यालय,भटगांव
8. शासकीय महाविद्यालय,बिलाईगढ़
9. स्व. दौलतराम शासकीय महाविद्यालय कसडोल
10. शासकीय महाविद्यालय, अभनपुर
11. शासकीय महाविद्यालय,महासमुन्द
12. स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय,सरायपाली
13. स्व.श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय,बसना
14. चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा
15. बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी.महाविद्यालय, धमतरी
16. शासकीय महाविद्यालय नगरी-सिहावा
17. शासकीय महाविद्यालय, उतई
18. शासकीय महाविद्यालय,बालोद
19. शासकीय एन.सी.जैन महाविद्यालय,दल्लीराजहरा
20. शासकीय जे.एल.एन.महाविद्यालय, बेमेतरा
21. शासकीय पी.जी.दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव
22. शासकीय कमलादेवी महाविद्यालय,राजनांदगांव
23. रानी अवन्तीबाई लोधी शासकीय महाविद्यालय,घुमका
24. रानी रश्मिदेवी शासकीय महाविद्यालय,खैरागढ़
25. शासकीय महाविद्यालय,रामटोला
26. रानी सूर्यमुखी देवी शासकीय महाविद्यालय,छुरिया
27. स्व.देवीप्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय,गंडाई
28. आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब शासकीय महाविद्यालय, कवर्धा
29. शासकीय महाविद्यालय, चारामा
30. शासकीय महाविद्यालय, भोपालपट्टनम
31. शासकीय महाविद्यालय,पेण्ड्रा
32. शासकीय कन्या महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड
33. शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर
34. शासकीय महाविद्यालय, बिल्हा
35. शासकीय महाविद्यालय, कोटा
36. शासकीय महाविद्यालय, लोरमी
37. शासकीय महाविद्यालय, मुगेली
38. शासकीय महाविद्यालय, रतनपुर
39. शासकीय महाविद्यालय, पथरिया
40. शासकीय महाविद्यालय, जांजगीर
41. शासकीय महाविद्यालय, डभरा
42. शासकीय महाविद्यालय, मालखरौद
43. शासकीय कन्या महाविद्यालय, कोरबा
44. शासकीय महाविद्यालय, कटघोरा
45. शासकीय महाविद्यालय, भैंसमा
46. शासकीय किरोड़ीमल महाविद्यालय, रायगढ़
47. शासकीय महाविद्यालय, सारंगगढ़
48. शासकीय कन्या महाविद्यालय, अम्बिकापुर

49. शासकीय महाविद्यालय, सीतापुर
50. शासकीय महाविद्यालय, कुसमी
51. शासकीय महाविद्यालय, प्रतापपुर
52. शासकीय महाविद्यालय, वाड्रफनगर
53. शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज
54. शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर
55. शासकीय महाविद्यालय, चिरमिरी

इन महाविद्यालयों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यो की लागत रूपये 53.18 है, इस वर्ष उक्त कार्य हेतु रूपये 3.18 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है । शेष राशि की व्यवस्था विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद कमांक 10

राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है :-

1. बादौरा (जिला जांजगीर चॉंपा) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 40.75 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।
2. भाटापार छपौरा (जिला जांजगीर चॉपा) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 70.30 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।
3. गोड बर्रा (जिला दुर्ग) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 33.73 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।
4. माना कैम्प (जिला रायपुर) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 82.00 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।
5. माना बस्ती (जिला रायपुर) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 57.38 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।
6. सिर्री (जिला धमतरी) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 67.00 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।
7. लिटिया सेमरिया जोगीगुफा (जिला दुर्ग) जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत 33.73 लाख) पर वर्ष 2006-07 में रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 11

विधानसभा एवं महालेखाकार कार्यालय में जल प्रदाय व्यवस्था किये जाने हेतु इस वर्ष रूपये 78.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।